भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 868
(जिसका उत्तर सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक) को दिया गया)

वर्क फ्रॉम होम

868. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कारपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले उन पेशेवरों की संख्या पर कोई सर्वेक्षण किया है जिन्हें 'वर्क फ्रॉम होम' दिया गया है और इस तरह से उत्पादकता, पारिश्रमिक और रोजगार की शर्तों आदि पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार रोजगार के लिए नियम और शर्तों तथा पेशेवरों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' से संबंधित दिशानिर्देशों से संबंधित नीति पर काम कर रही है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह उल्लेख किया है कि श्रम ब्यूरो ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार; केन्द्र सरकार ने दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को राजपत्र में "सेवा क्षेत्र" पर मॉडल स्टेंडिंग ऑडर्स (एमएसओ) का मसौदा प्रकाशित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 'वर्क फ्रॉम होम', आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। एमएसओ का मसौदा, अन्य बातों के साथ-साथ, नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच नियुक्ति एवं करार की शर्तों के अध्यधीन और नियोक्ता द्वारा यथा-निर्धारित ऐसी अवधि या अवधियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति देता है।

*****